(वाद सं0–2272/4/23/2020)

19.04.2022

अब्दुस सलाम अन्सारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर उपस्थित है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, मुजफ्फरपुर जिलान्र्तगत नगर पंचायत, काँटी नियोजन इकाई, में नियोजित 41 शिक्षकों, जिनमें से 14 शिक्षकों का मानदेय बिहार सरकार द्वारा, जबकि 27 शिक्षकों का मानदेय सर्व शिक्षा अभियान मद से किया जाता है, को विगत 03 (तीन) वर्षो से लंबित बकाया मानदेय का आधा–अधुरा भुगतान करने के कारण, उनके मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद, काँटी में कार्यरत सभी नगर शिक्षकों का मानदेय का भुगतान किया जा चुका है तथा उन सबों का कोई बकाया मानदेय का भुगतान लंबित नहीं है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवाद–पत्र में उल्लेखित परिवादियों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को यह आवेदन दिया गया है कि उनलोगों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर बनाकर राज्य आयोग के समक्ष प्रसंगाधीन परिवाद दाखिल किया गया है।

अब जबकि तथाकथित परिवादियों के परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्य का समुचित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जाना प्रतिवेदित है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक